592

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227275 & 2227884 . ई–मेल seprd123@gmail.com, rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.4(53) परावि/पीसी/जजेवाई/कियान्वयन/12/2345 जयपुर,दिनांक 18.8.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय :–जनता जल योजना के पम्पचालको को मजदूरी दर के भुगतान बाबत स्पष्टीकरण।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक आदेश 1030 दि. 28.4.17 एवं 1489 दि. 7.6.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा जनता जल योजना के पम्प चालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

इस क्रम में जिलों द्वारा दूरभाष पर यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि जनता जल योजना के पम्प चालक 4 घण्टे के लिए कार्य कर रहे है, ऐसी स्थिति में पम्पचालकों को न्यूनतम मजदूरी दर का पूर्ण भुगतान किया जाना है अथवा न्यूनतम मजदूरी दर की आधी राशि दी जानी है।

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13 परावि/विधि/अव/1/197 दिनांक 26.6.13 के द्वारा जनता जल योजना के पम्पचालकों को 1.2.13 से पारिश्रमिक राशि 1000 रूपये प्रति माह के स्थान पर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 रूपये की 50 प्रतिशत राशि के अनुसार पारिश्रमिक राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। न्यूनतम मजदूरी दर में हुई वृद्धि के क्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 1333 दिनांक 7.7.15 एवं 2751 दि. 26.8.16 के द्वारा बढी हुई न्यूनतम मजदूरी दर की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किये गये थे।

चूंकि जनता जल योजना के पम्पचालक प्रारम्भ से ही आंशिक कार्मिकों के रूप मे रखे हुये हैं तथा इनकी कर्त्तव्य अवधी 4 घण्टे निर्धारित की हुई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में 4 घण्टे तक कार्य करने पर न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर की 50 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है।

अतः विभागीय संमख्यक आदेश क्रमांक 1030 दिनांक 28.04.2017 एवं 1489 दि. 7.6.17 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जनता जल योजना के पम्प चालकों का न्यूनतम मजदूरी दर (राशि रूपये 201 के आधार पर माह में अधिकतम 26 दिवस के लिए राशि रूपये 5226 रूपये प्रति माह) की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 2613 रूपये का भुगतान किया जावेगा।

यह आदेश केवल जनता जल योजनाओं के पम्पचालकों पर ही लागू होगा एवं भविष्य में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने पर प्रभावी न्यूनतम दर की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

18/8/17

(आर.एस. मक्कड़)
अति. आयुक्त

593

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–v) विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
8. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
10. ए.सी.पी., पंचायती राज को बैवसाईट पर अपलोड हेतु।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता